जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, गौतमबुद्धनगर में शासन द्वारा संचालित योजनाएं

- **राज्य सरकार पूर्वदशम छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाः–**
  - पूर्वदशम छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 9th व 10th)
  - वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in
  - आय सीमा रू0 01लाख से अधिक न हो।
  - सरकारी/सहायता प्राप्त एवं सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थाओं के छात्र।
- **राज्य सरकार की दशमोत्तर/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाः–**
  - दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11th व 12th समूह 1,2,3 एवं 4)
  - वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन।
  - आय सीमा रू0 02लाख से अधिक न हो।
  - सरकारी/सहायता प्राप्त/तनीकी/गैर तकनीकी एवं सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थाओं के छात्र।
- **केन्द्र सरकार प्री–मैट्रिकः–**
  - बेसिक शिक्षा/मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों/मदरसों मे प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कक्षा 1 से कक्षा 10तक के संस्थागत छात्र/छात्राएं।
  - www.nsp.up.nic.in पर बेसिक शिक्षा/मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों/मदरसों मे प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कक्षा 1 से कक्षा 10तक के छात्र/छात्राएं/ ।आय सीमा–1.00लाख रू.
  - धनराशि छात्र/छात्राओं के खातों में भेजी जाती है।
- **केन्द्र सरकार पोस्ट–मैट्रिक एवं मेरिट–कम–मीन्सः–**
  - कक्षा 11 से कक्षा 12तक अथवा गैर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पी0एच0डी0 तक पोस्ट मैंट्रिक/तकनीकी पाठ्यकमों में प्रवेश लेकर **"अल्पसंख्यक वर्ग के"** संस्थागत छात्र/छात्राएं
  - www.nsp.up.nic.in पर जनपद की सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं चाहें वे जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हो या मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों/मदरसों मे **"अल्पसंख्यक वर्ग के"** संस्थागत छात्र/छात्रा प्रवेश लेकर संस्थागत तौर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभिभावक की आय सीमा 2.5लाख प्रतिवर्ष है।
  - केन्द्र सरकार द्वारा लखनऊ के माध्यम से डाटा पर कार्यवाही करते समस्त अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि छात्र/छात्राओं के खातों में भेजी जाती है।
- **शादी अनुदान योजनाः–**
  - अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे अभिभावक जिनकी अधिकतम् वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में **रू056,460/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू046,080/–होनी चाहिए।**
  - बेवसाइट www.minoritywelfare.up.nic.in **पर** दिए गए लिंक–शादी हेतु अनुदान आवेदनपत्र पर जाकर लाभार्थी द्वारा स्वयं ऑनललाइन आवेदन करना अनिवार्य होता है।
  - आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90दिन पूर्व व 90दिन बाद तक किए जा सकते हैं।
  - एक अभिभावक की अधिकतम 02पुत्रियों के विवाह अनुदान आवेदन करने उपरान्त लाभान्वित किया जा सकता हैं।
  - इसमें कन्या के माता, पिता या अभिभावक के द्वारा आवेदन के साथ खाता, कन्या की फोटो, उम्र का प्रमाण, शादी का कार्ड अथवा निकाह नामा की कॉपी/लाल खत एवं आधार कार्ड संलग्न किया जाना अनिवार्य है

जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

- <u>एम0एस0डी0पी0 योजनाः</u>–जनपद में स्थित टाउन एरिया–दादरी केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रूप में चिन्हित है। ऐसे ब्लाक व टाउन एरिया जहाँ मुस्लिम, आबादी 25 प्रतिशत से अधिक है वहाँ अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु मूलभूत आवश्यकताएं जैसेः–शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली व स्वच्छता जैसी सुविधाओं को पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक को रू010,00,00,000/–**दस करोड़ के** प्रस्ताव आमंत्रित कर जन सामान्य को लाभान्वित किया जाता है।
- <u>कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माणः</u>–इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक अविवादित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी का निर्माण कराया जाता है।
- <u>मदरसों की मान्यता एवं आधुनिकी करण योजनाः</u>–इस योजना में जनपद के कक्षा 1से 5 तक तहतानिया, कक्षा 6से 8 तक फौकानिया एवं10 स्तर आलिया एवं 12स्तर उच्च आलिया स्तर की मान्यता हेतु मदरसों के मानकों का स्थलीय एवं अभिलेखीय निरीक्षण "**जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा करने के उपरान्त मानकों को पूर्ण होने पर पत्रावली को संस्तुति सहित निदेशालय, लखनऊ को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने का प्रावधान हैं। साथ ही जो मदरसे पूर्व में 03वर्षों से अधिक समय से यदि मदरसा सफलता पूर्वक मानकों के तहत संचालित जनपद में संचालित हैं तो ऐसे मदरसों को केन्द्र सरकार की "मदरसा आधुनिकीकरण" योजनान्तर्गत शिक्षकों को मानदेय प्रदान किए जाने हेतु उक्त योजना से आच्छादित किया जाता है जिसके बाद मदरसा को केन्द्र सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं को आधुनिकी शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य से बुक बैंक योजना में पुस्तकें व अलमारी एवं कम्प्यूटर आदि प्रदान किए जाते हैं।**

जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर